परिशिष्ट –त–3

(नियम 16–क देखिए)

भवन निर्माण पूर्ण हाने पर तथा अधिभोग लेने के पूर्व वास्तुविद् एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर संयुक्त रूप से भवन का निरीक्षण करेंगे एवं मंजूरी प्राधिकारी को, भवन के होने की एक रिपोर्ट यह दर्शाते हुए भेजेंगें कि कार्य अनुमोदित प्लान तथा डिजाईन के अनुसार किया गया है.

प्रमाण पत्र भवन निर्माता / स्वामी द्वारा प्राधिकारी से भवन पूर्णता प्रमाण पत्र करने हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएः–

1. प्रमाणित किया जाता है कि भवन मंजूर किए गए मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार निर्मित किया गया है (निर्माण आधारित यांत्रिकी मानचित्रों की एक प्रति संलग्न) जिसमें यांचिकी सुरक्षा मानक संबंधी उपबंधों को दर्शाया गया है जैसा कि संबंधित भारतीय मानक कोड/स्टेण्डर्ड/मार्गदर्शिका में उल्लेखित है.
2. यह भी प्रमाणित किया जता है कि संनिर्माण हमारे पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन तथा प्रस्तुत किये गये मानचित्र के अनुरूप तथा हमारे द्वारा ऊपर वर्णित पर्यवेक्षण अभिलेख के अनुरूप किया गया है।
3. मानचित्रों में पश्चात्वर्ती परिवर्तन का पूर्ण दायित्व स्वामी/स्वामियों का होगा ।

स्वामी के हस्ताक्षर	वास्तुविद् के हस्ताक्षर तारीख सहित	यंत्री /संरचना इंजीनियर के हस्ताक्षर तारीख सहित (जैसा कि नेशनल बल्डिंग कोड आफ इंडिया में परिभाषित है)तारीख सहित
बड़े अक्षरों में नाम तथा पता	बड़े अक्षरों में नाम तथा पता	बड़े अक्षरों में नाम तथा पता